COURT FEE INDIA
भारत
पन्द्रह रुपये
FIFTEEN RUPEES

-1-

2

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर

P-1420-II/08

1. रामचरण बल्द नंदलाल यादव
2. रतनलाल बल्द रामप्रसाद यादव
3. मोहनलाल बल्द राधेलाल
4. मानकलाल बल्द गोविंद दास यादव

सभी नि0ग्राम सैंधखुरी तह. बड़ा मलहरा जिला छतरपुर

--- रिवीजनकर्तागण

श्री आर.सी. ठाकुर अधि. द्वारा कैम्प सागर में प्रस्तुत।
21/10/08

।। विरूद्ध ।।

1. हरदास बल्द सुन्नू यादव
नि0 ग्राम गोपीपुरा तह. बड़ा मलहरा जिला छतरपुर
2. हबीब खां तनय मुन्नी खां
निवासी ग्राम सैंधखुरी तह. बड़ामलहरा जिला छतरपुर
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर

-- उत्तरवादीगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

उपरोक्त नामांकित रिवीजनकर्तागण ने न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा अपील क्र. 550-अ/21, वर्ष 06-07 में पारित आदेश दिनांक 19.9.08 से दुखित होकर निम्न आधारों एवं तथ्यों सहित अपनी यह निगरानी माननीय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं :-

।। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ।।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रिवीजनकर्तागण ने उत्तरवादी हरदास यादव से भू-स्वामित्व जमीन ख0नं0 78/3 रकबा 2.023 हेक्टेयर भूमि जरिए रजि0 विक्रयपत्र के दि. 5.7.85 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिस जमीन पर रिवीजनकर्तागण काबिज होकर लागातार खेती करते चले आ रहे है कि उत्तरवादी क्रमांक-1 ने रिवीजनकर्तागण को धोखा देकर उक्त जमीन 22 वर्ष बाद पुनः दिनांक 12.1.07 को उत्तरवादी हबीब खां को विक्रय कर दी है जबकि एक बार विक्रय की गई जमीन का पुनः विक्रय नहीं किया

-2-

R 1420 /08 [illegible]

1.8.17. प्रकरण आज प्रस्तुत। आवेदक
को कई बार सूचना दी गई
परन्तु वे उप० नहीं हुआ।
[illegible] से आवेदक
[illegible] को प्रकरण में [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
अतः प्रकरण [illegible] से [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] एक लम्बे [illegible]
गया है।
प्रकरण खारिज हो।
अभिलेख वापिस [illegible] [illegible]

[signature] तहसील

शाक्षेयुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.

R [illegible] आगत [illegible] [illegible]